<u>दान/कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति 2022-2023</u>

1. **प्रस्तावना:**

   एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, यह आवश्यकता अनुभव की गई है कि बैंक को समाज की भलाई में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए. बैंक के पास 9100 से अधिक शाखाओं और 70000 से अधिक कर्मचरियों के रूप में वृहत संसाधान हैं, यहाँ तक कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी, इनका उपयोग समाज के कम भाग्यशाली/अल्प-सुविधा प्राप्त सदस्यों के उत्थान को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा, सामाजिक उत्थान में मदद करने से, यह बैंक को एक ऐसे ब्रांड के रूप में अपनी छवि बढ़ाने में भी मदद करेगा जो समावेशी विकास में विश्वास करता है. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक अपनी दान / सीएसआर नीति तैयार करने और लागू करने का प्रस्ताव करता है. यह नीति बैंक द्वारा संचालित किए जाने वाले दान / सीएसआर गतिविधियों के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करेगी. नीति की समीक्षा की जाएगी और वार्षिक आधार पर इसका अद्यतन किया जाएगा.

   यह भी कहा जा सकता है कि आरबीआई के सूचना पत्र सं. 237/2205-06 डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी 50/13.01/2005-06 दिनांक 21 दिसंबर, 2005 में दिए गए निर्देश स्वैच्छिक प्रकृति के है. इसके अलावा, चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं, सीएसआर पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 का प्रावधान बैंक के लिए लागू नहीं हैं.

   समाज को कुछ वापस देने के दर्शन को ध्यान में रखते हुये, समाज के कम सुखी/वंचित सदस्यों के उत्थान को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय और स्वैच्छिक कदम के रूप में बैंक द्वारा दान / सीएसआर गतिविधि शुरू करने का प्रस्ताव है.

2. नीति वक्तव्य:

   वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों संसाधनों के माध्यम से समाज के कम भाग्यशाली / अल्प-सुविधा प्राप्त सदस्यों के जीवन स्तर को बढ़ाने व सामाजिक पहुंच को आसान बनाने के लिए अथक प्रयास करना.

3. उद्देश्य:

I. आर्थिक विकास के लिए प्रयास करना, जो न्यूनतम संसाधनों के साथ बड़े पैमाने पर समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें.

II. सतत विकास की जिम्मेदारी को स्वीकार करना एवं बैंक की प्रतिबद्धता और मूल्यों के साथ अपनी व्यावसायिक विकास रणनीतियों में दान / सीएसआर को एकीकृत करना.

III. सीएसआर का उपयोग सामाजिक कार्यों में भागीदारी जैसे व्यापक मुद्दों के समाधान के लिए एक उपाय के रूप में किया जाएगा जैसे कि गरीबी, भूख, स्वास्थ्य सेवा, कौशल उन्नयन, सामुदायिक विकास.

IV. अधिकतम स्थायी प्रभाव बनाने के लिए अपने कर्मचारियों को शामिल करना और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना.

4. उपक्रम दान / सीएसआर गतिविधि :

I. बैंक सीधे या यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफ) या किसी भी प्रतिष्ठित सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक एजेंसियों, नागरिक सामाजिक संगठनों, गैर-लाभकारी कंपनियों, समुदाय आधारित संगठनों, ट्रस्टों / मिशनों, स्वयं सहायता समूहों, शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कार्य को आगे बढ़ाएगा. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत बैंक द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है और इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी(5) (vi) के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त है।

II. आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) / धारा 35 एसी के तहत अपेक्षित प्रमाण पत्र वाले कर छूट के तहत योग्य संस्थानों / गैर सरकारी संगठनों को ही दान किया जाना चाहिए।

III. विशिष्ट जाति / धार्मिक / सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और राजनीतिक प्रभाव वाले संस्थानों को दान पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, प्रतिष्ठित संस्थानों / संगठनों आदि को दान, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में संलग्न और आम जनता के व्यापक हित में संचालित गतिविधियों जैसे कि अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा सकता है.

IV. सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकारी विकास/एजेंसियों को अपनी जमा पूंजी बढ़ाने जैसे कार्यों या अन्य योग्य मामलों में योगदान के रूप में दान दिया जाना चाहिए.

V. आईआईएम, आईआईटी, एनआईबीएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च/तकनीकी/ प्रबंधन शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए एकमुश्त धनराशि के सृजन और राष्ट्रीय स्तर पर खेल गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने को छोड़कर आम तौर पर व्यक्तियों को दान नहीं दिए जाने चाहिए। । ऐसे दान को बेहद चयनात्मक आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए.

VI. जहाँ पर किसी भी प्रकार के हितों में टकराव हो वहाँ दान/सीएसआर गतिविधि नहीं की जा सकती. केवल सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारियों / निदेशकों और उनके निकट संबंधियों (सेबी के दिशानिर्देशों की परिभाषा के अनुसार) को सीधे लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियों पर दान / सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता देने पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, जिन संस्थाओं में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी/कार्यकारी/निदेशक प्रबंधन नियंत्रण/नियंत्रण हिस्सेदारी रखते हैं, वे दान/सीएसआर के तहत विचार करने के पात्र नहीं होंगे.

5. फोकस क्षेत्र :

ऐतिहासिक रूप से, समाज के वंचित, हाशिए पर और बहिष्कृत क्षेत्रों के लाभ के लिए हमारे देश में किए गए प्रयास केवल अलग-अलग क्षेत्रों में समस्याओं से निपटने में आंशिक रूप से सफल रहे हैं। वर्तमान असंतुलन पर अभी भी तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पैदा हुई है। विभिन्न क्षेत्रों की जटिलताओं, साक्षरता, वित्तीय स्थिति, भौगोलिक और सामाजिक दोनों पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के अलावा, बैंक द्वारा बैंक के दान/सीएसआर गतिविधियों के तहत फोकस क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई है:

- शारीरिक / मानसिक विकलांगता.
- ग्रामीण विकास.
- स्वास्थ्य देखभाल.
- शिक्षा एवं कौशल विकास (बैंक अपने कौशल विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा)
- बालिका और महिला सशक्तिकरण.

- सामुदायिक विकास, वित्तीय साक्षरता आदि के लिए बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं, सुविधाओं को मजबूत करके आदर्श ग्राम/डिजी-गांव का विकास (बैंक द्वारा चिह्नित गांव में सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएगी और इसका उपयोग आरबीआई के विभिन्न दिशानिर्देशों / सरकार प्रायोजित योजनाएं के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के अवसर के रूप में भी करेगा।)
- प्रकृतिक आपदाएं / आपदा
- पर्यावरण संरक्षण
- राष्ट्रीय विरासत, ऐतिहासिक स्थलों, कला केंद्र और संस्कृति के स्मारकों की सुरक्षा.
- दान/सीएसआर गतिविधियों के तहत पात्र गतिविधि के रूप में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना जिससे बैंकों द्वारा दान/सीएसआर निधि से पी ओ एस उपकरणों की खरीद को सक्षम बनाया जा सके.
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 7 में उल्लिखित अन्य सभी गतिविधियों को भी दान/सीएसआर के तहत पात्र गतिविधियों के रूप में शामिल किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करने की वरीयता दी जाती है।

बहिष्करण Exclusion:

बैंक के दान/सीएसआर के हिस्से के रूप में निम्नलिखित गतिविधियां नहीं की जाएंगी:

- बैंक किसी एक धर्म, जाति, पंथ आदि का सहयोग या समर्थन नहीं करेगा और सभी के साथ धर्मनिरपेक्ष व्यापार संबंध बनाए रखेगा.
- बैंक दान/सीएसआर विकास के लिए राजनीतिक पार्टी प्रायोजित परियोजनाओं का समर्थन नहीं करेगा.
- बैंक ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा जो केवल बैंक के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है.
- बैंक के किसी अधिकारी या बैंक के अधिकारी के किसी रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए कोई दान नहीं दिया जाएगा। रिश्तेदार की परिभाषा सेबी के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित की जाएगी (अनुबंध 'ए' के अनुसार संलग्न सूची)

6. दान/सीएसआर के लिए बोर्ड स्तरीय समिति:

6.1 बैठक की संरचना, कोरम, आवृति

6.1.1. बैंक ने एक हितधारक संबंध समिति का गठन किया है। समिति की संरचना इस प्रकार है:

क. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

ख. कार्यपालक निदेशक

ग. अधिनियम की धारा 9(3)(एच) के तहत नामित एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक.

घ. अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत निर्वाचित एक शेयरधारक निदेशक.

ङ. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970.

6.1.2. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और शेयरधारक निदेशक श्रेणी के तहत हितधारक संबंध समिति के सदस्यों का वार्षिक आधार पर आवर्तन किया जाएगा.

6.1.3. बैठक का कोरम तीन सदस्यों द्वारा पूर्ण होगा.

6.1.4. बैठक तिमाही में कम से कम एक बार होनी चाहिए.

6.1.5. बैठक का संयोजक कॉर्पोरेट संप्रेषण विभाग (सीसी) होगा.

6.2 **दायरा (Scope):**

6.2.1. निदेशक मंडल के लिए दान/सीएसआर नीति तैयार करना और सिफारिश करना एवं शुरू की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करना.

6.2.2. इस नीति में निर्धारित समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट या समिति द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य संस्था/संगठन को 10 लाख रुपये से अधिक के परिव्यय की आवश्यकता वाली परियोजनाओं का अनुमोदन.

6.2.3. तिमाही आधार पर जीएम/ईडी/एमडी एंड सीईओ द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकरण के उपयोग की समीक्षा करना.

6.2.4. तिमाही आधार पर यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रदर्शन की समीक्षा करना.

6.2.5. हितधारक संबंध समिति के कार्यवृत तिमाही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे.

7. यूनियन बैंक सोशल फ़ाउंडेशन ट्रस्ट:

7.1. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (UBSFT) बैंक द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A के तहत पंजीकृत है, जिसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G(5)(vi) के तहत कर छूट की मंजूरी है। । ट्रस्ट के पास एक अलग न्यासी बोर्ड है जिसमें पदेन अध्यक्ष के रूप में एमडी और सीईओ के साथ 15 न्यासी शामिल हैं, सभी कार्यपालक निदेशक पदेन उपाध्यक्ष के रूप में हैं। स्वतंत्र ट्रस्टी सहित ट्रस्ट बोर्ड के अन्य सदस्यों को एमडी और सीईओ द्वारा नामित किया जाता है.

7.2. न्यासी बोर्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पैन इंडिया) के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त परियोजनाओं की जांच करता है और यदि आवश्यकता, लागत बनाम दान और कार्यान्वयन की व्यवहार्यता के आधार पर स्वीकार्य पाया जाता है तो उसे अनुमोदित करता है.

7.3. ट्रस्टी बोर्ड तिमाही आधार पर बैठक करता है और स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा करता है और धनराशि की व्यवहार्यता और उपलब्धता के आधार पर नई परियोजनाओं को मंजूरी देता है.

8. सीएसआर के लिए बजट:

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संदर्भ क्र. 237/2205-06 डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी-50/13.01.01/2005-06 दिनांक 21 दिसंबर, 2005 के निर्देशानुसार:

8.1. बैंक एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के बैंक के प्रकाशित लाभ के एक प्रतिशत तक का कुल दान कर सकता है। हानि की स्थिति में बैंक प्रति वर्ष 5.00 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है

8.2. प्रधानमंत्री राहत कोष में बैंक द्वारा किए गए योगदान और भारतीय बैंक संघ, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ जैसे पेशेवर निकायों/संस्थानों के अंशदान को उपरोक्त सीमा से छूट दी गई है.

8.3. एक प्रतिशत की सीमा के अप्रयुक्त भाग को अगले वर्ष तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

8.4. उपरोक्त आरबीआई दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, हम प्रस्ताव करते हैं कि दान/सीएसआर के लिए वार्षिक बजट पिछले वर्ष के बैंक के प्रकाशित शुद्ध लाभ के 1 प्रतिशत या घाटे की स्थिति में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक सीमित होना चाहिए.

9. वित्त पोषण, चयन और निगरानी प्रक्रिया:

9.1. परियोजना/कार्यक्रम के लिए दान/सीएसआर के अनुमोदन के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकरण:

क्र.सं	राशि	प्रतिनिधि
1	रु 1.00 लाख तक	महाप्रबंधक, सीसी
2	रु 1.00 लाख से ऊपर 5.00 लाख तक	कार्यपालक निदेशक
3	रु 5.00 लाख से ऊपर 10.00 लाख तक	प्रबंध निदेशक & सीईओ
4	रु 10.00 लाख से ऊपर	हितधारक निदेशको की संबंध समि

9.2. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी) या बैंक अखिल भारत से सीधे परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुरोध प्राप्त करेंगे। फाउंडेशन (यूबीएसएफटी) के सीईओ / जीएम कॉरपोरेट कम्युनिकेशन बैंक के फोकस क्षेत्रों के तहत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे और परियोजनाओं के संभावित प्रभाव का आकलन करके उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मूल्यांकन के मानदंड अनुलग्नक बी, बी1 और बी2 में दिये गये हैं. प्रस्तावों को मंजूरी के लिए संबंधित प्रत्यायोजित प्राधिकरण को अनुशंसित किया जाएगा.

9.3. सामाजिक रूप से उन्मुख परियोजनाओं के लिए सुव्यवस्थित संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को यथोचित कारणों हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एजेंटों/बिचौलियों/सलाहकारों की भागीदारी के बिना से दान सीधे संस्थानों/एनजीओ को दिया जाए.

9.4. संस्था को अधिमानतः एक सोसाइटी या चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। दान केवल कर छूट के लिए पात्र संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों को ही किया जाना चाहिए, अर्थात संस्थान/गैर सरकारी संगठनों के पास आयकर की धारा 80 (जी)/35 के तहत आयकर छूट प्रमाणपत्र होना चाहिए, ताकि बैंक कर छूट का दावा कर सके.

9.5. अपनी परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों या अपने स्तर पर धन जुटा सकने वाले संस्थानों को दान देने से सामान्यतः बचा जाना चाहिए.

9.6. जहां तक संभव हो विभिन्न गतिविधियों के लिए दान दिया जाए और जिला अग्रणी बैंक को वरीयता देते हुए देश में बैंक के नेटवर्क को कवर करते हुए पूरे भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक पहुंच होनी चाहिए.

9.7. कम संसाधनों वाली संस्थाओ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

9.8. व्यक्तियों को कोई दान नहीं दिया जाएगा। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में योग्य मामलों में व्यक्तियों को दान को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

9.9. निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी उस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी, जिनके अधिकार क्षेत्र में लाभार्थी आते हैं. जब तक परियोजना पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, कॉरपोरेट कार्यालय तिमाही आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेगा. विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर तिमाही रिपोर्ट बोर्ड की हितधारक संबंध समिति को अपनी तिमाही बैठकों में समीक्षा के लिए दी जाएगी.

10. **निधियों का उपयोग और जारी करना**:

10.1. क्षेत्रीय कार्यालयों/एफजीएमओ के माध्यम से संवितरण सुनिश्चित किए जाएंगे. स्वीकृत धनराशि एफजीएम/आरएम की सिफारिश के आधार पर संस्थानों/वेंडरों/एनजीओ को सीधे भेजी जाएगी या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/एफजीएमओ को भेजी जा सकती है। एफजीएमओ, पी एंड डी प्रभारी दान किए गए धन के उपयोग की निगरानी करेंगे और स्थिति के अनुसार सीधे या क्षेत्रिय कार्यलयों/शाखाओ के माध्यम से की गयी निधियो के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करें. एफजीएमओ दान की गई संपत्ति/गतिविधियों का निरीक्षण अपने आधिकारिक या क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा अधिकारियों द्वारा करवाएगा. निर्माण कार्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए, बैंक के पैनल आर्किटेक्ट द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और उसका प्रमाण पत्र, अनुमान प्रमाणित, वास्तविक खर्च आदि प्राप्त किया जाएगा.

10.2. एफजीएमओ/क्षेत्र, जिन्होंने संवितरण किया है, दान की गई निधियों के उपयोग की निगरानी करेंगे और जिस उद्देश्य के लिए इसे स्वीकृत किया गया है, उसके लिए निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करेंगे। एफजीएमओ/क्षेत्र दान के तहत सृजित परिसंपत्तियों का बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से निरीक्षण करवाएंगे और निरीक्षण रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखेंगे.

10.3. एफजीएमओ/क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि दान प्राप्तकर्ता उस परिसर में जहां दान की गई संपतियां रखी गई हैं या दान की गई संपत्ति पर बैंक का नाम/लोगो प्रदर्शित करें.

10.4. FGMO/क्षेत्र निम्नलिखित प्राप्त करना सुनिश्चित करें :

- दानग्राही से दान की गई राशि की रसीद.
- यदि लागू हो तो छूट का दावा करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) / 35 के तहत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति.
- दानकर्ता के चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाणपत्र, दान की गई धनराशि के अंतिम उपयोग को प्रमाणित करना.

- 25.00 लाख रुपये से अधिक के किसी संगठन को एकल दान के मामले में, अंचल/क्षेत्र, एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी द्वारा निरीक्षण के माध्यम से दान की गई निधि के अंतिम उपयोग का सत्यापन प्राप्त करना, सुनिश्चित करेगा.
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एजेंटों/बिचौलियों/परामर्शदाताओं की भागीदारी के बिना, दान संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों सीधे दिया जाए.
- क्षेत्र महाप्रबंधक, प्रयासों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जहां भी संभव हो अधिकतम संख्या में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगें.

11. **लेखा प्रक्रिया** :

दान/सीएसआर के तहत खर्च वास्तविक भुगतान आधार पर बुक किया जाएगा न कि उपचय आधार पर.

12. प्रभाव विश्लेषण :

बैंक एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से, तीन साल की अवधि में एक बार 25 लाख रुपये से अधिक के व्यय वाली अपनी सभी दान/सीएसआर गतिविधियों का विश्लेषण करेगा.

13. नीति की शर्तें एवं अवशिष्ट मुद्दे :

- यह नीति मौजूदा दान/सीएसआर नीति का अधिक्रमण करेगी.
- नीति तुरंत प्रभावी होगी और वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी.
- इस नीति के संबंध में किसी भी अस्पष्टता/विरोधाभास/स्पष्टीकरण के मामले में, इस तरह के मुद्दे को हल करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अंतिम प्राधिकारी होंगे.

यह नीति मार्च 2023 तक वैध होगी और इसकी निरंतरता को प्रबंध निदेशक और सीईओ के विशिष्ट अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है जो कि 3 महीने से अधिक नहीं होगी.

<u>अनुलग्नकों की सूची</u>

अनुलग्नक ए - सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार रिश्तेदारों की सूची

अनुलग्नक बी - प्रस्ताव/परियोजना/दान आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी.

अनुलग्नक बी-1 - दान मांगने वाले प्रस्तावों की जांच सूची.

अनुलग्नक बी-2 - समुचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) रिपोर्ट.

<u>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अनुलग्नक 'ए'</u>

<u>सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार रिश्तेदारों की सूची</u>

रिश्तेदार में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. एचयूएफ के सदस्य
2. जीवनसाथी
3. पिता (सौतेले पिता सहित)
4. माँ (सौतेली माँ सहित)
5. भाई (सौतेला भाई सहित)
6. बहन (सौतेली बहन सहित)
7. पुत्र (सौतेला पुत्र सहित)
8. बेटी
9. बेटे की पत्नी
10. बेटी का पति

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रस्ताव/परियोजना/दान आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी

(संगठन द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाना)

अनुलग्नक 'बी'

सं.	ब्यौरे	टिप्पणियां
1	अनुदान/वित्तीय सहायता का उद्देश्य	
2	संगठन की पृष्ठभूमि/संक्षिप्त जानकारी	
3	अतीत और वर्तमान गतिविधियों की मुख्य बातें (क्षेत्र, स्थान, प्रकृति भागीदारी संगठन, आदि)	
4	पूर्व में की गई गतिविधियों के परिणामों/प्रभावों की मुख्य विशेषताएं	
5	पहचान/पुरस्कार/विशेष सम्मान, आदि	
6	वर्तमान प्रस्ताव का सार और आवश्यकता (गतिविधियों की प्रकृति, क्षेत्र, स्थान, कार्यान्वयन एजेंसी की निगरानी, आदि के बारे में जानकारी सहित)	
7	प्रस्तावित परियोजना/गतिविधियों के दृश्यमान परिणाम/प्रभाव	
8	शामिल बजट (अनुपात, यदि कोई हो) और संवितरण का तरीका	
9	वहनीयता और रखरखाव, आदि पर संक्षिप्त जानकारी, (जिम्मेदार एजेंसी/संगठन के साथ)	
10	प्रस्ताव में मूल्यवर्धन हेतु कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	

11	प्रभाव	स्वास्थय 5	रखरखाव एवं पुनर्वास 4	कौशल विकास 3	शिक्षा 2	ग्रमीण विकास 1

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रस्ताव/परियोजना/दान आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी

(संगठन द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाना)

अनुलग्नक 'बी'1

ए) संगठन का विवरण :

सं.	ब्यौरे	टिप्पणियां
1	नाम एवं पता	
2	दान के उद्देश्य से मांगी गई राशि (कृपया विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, कोटेशन/अनुमान आदि संलग्न करें)	
3	संवैधानिक-ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी या कोई अन्य (चाहे धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट/सोसाइटी)	
4	विधि/अधिनियम जिसके तहत आपका संगठन पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाए)	
5	ट्रस्ट/संस्थान के मुख्य उद्देश्य (ट्रस्ट डीड/उपनियमों की प्रति, पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए)	

6	संस्थापक न्यासियों के नाम उनकी पृष्ठभूमि के साथ (सूची संलग्न की जाए)	
7	वर्तमान न्यासियों / पदाधिकारियों के नाम और उनकी पृष्ठभूमि (सूची संलग्न की जाए)	
8	आपके संरक्षक/मुख्य दाता कौन हैं और उनका विवरण (अंतर्देशीय और विदेशी दोनों) (सूची संलग्न की जाए)	

9	क्या इस प्रस्तावित परियोजना के लिए कोई सरकार/अन्य दान प्राप्त / प्रतिबद्ध है (यदि हाँ, तो कृपया दाता का नाम, राशि, अवधि आदि प्रदान करें)	
बी) आय कर पंजीकरण, कर छूट		
10	क्या ट्रस्ट/संस्था आई.टी. अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत है? (कृपया पैन/टीआईएन आय कर अधिकारियों से प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
11	क्या ट्रस्ट/संस्था को निम्न के तहत छूट दी गई है: क) धारा 80जी/35एसी एफसीआरए ख) एफ सी आर ए (कृपया प्रमाण पत्र की प्रतियां जमा करें)	

सी) वित्तीय		
12	क्या खाता विधिवत रूप से तैयार और लेखापरीक्षित हैं (कृपया पिछले 3 वर्षों के वित्तीय विवरणों और आईटी रिटर्न की प्रतियां जमा करें)	
डी) बैंक खाता विवरण		
13	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ खातों का विवरण (कृपया शाखा का नाम, खाते की प्रकृति, खाता संख्या और शेष राशि का उल्लेख करें)	
14	अन्य बैंकों के साथ खातों का विवरण (कृपया शाखा का नाम, खाते की प्रकृति, खाता संख्या और शेष राशि का उल्लेख करें)	
15	कृपया पिछले 6 महीनों (न्यूनतम) का खाता विवरण खाता संख्या, शाखा का नाम, आईएफएससी कोड सहित संलग्न करें.	

16	क्या ट्रस्ट/संस्था यूनियन बैंक से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रही है। यदि हां, तो विवरण (शाखा का नाम, अवधि, राशि-निधि-आधारित, गैर-निधि आधारित वर्तमान बकाया, आदि सहित)	
17	क्या ट्रस्ट/संस्था किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रही है यदि हां, तो विवरण (शाखा का नाम, अवधि, राशि-निधि-आधारित, गैर-निधि आधारित, वर्तमान बकाया आदि)	

ई) कानूनी पहलू		
18	क्या किसी ने आपके खिलाफ मुकदमा या दावा दायर किया है यदि हां तो विवरण और वर्तमान स्थिति?	
19	क्या आपके ट्रस्टी/पदाधिकारी किसी भी समय मनी लॉन्ड्रिंग या किसी अन्य अवैध गतिविधि में शामिल थे?	
20	क्या आपके किसी ट्रस्टी/पदाधिकारी को नैतिक अधमता, आर्थिक अपराध, सुरक्षा कानून, धोखाधड़ी से जुड़े किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है?	
21	क्या आपके संगठन के समापन/विघटन का कोई आदेश किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया था?	
22	क्या आपका कोई ट्रस्टी/पदाधिकारी दिवालिया घोषित किया गया है और उसे सेवामुक्त नहीं किया गया है?	

एफ) सामान्य

23	क्या अनुदान/दान के लाभार्थी यूनियन बैंक के सेवा क्षेत्र के आसपास हैं? (यदि हां, तो शाखा का नाम)	
24	आपका समर्थन करके बैंक को क्या लाभ	

	होगा	
25	दो प्रमुख संदर्भो के नाम उनकी स्थिति सहित ?	
26	क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी (सेवारत/सेवानिवृत्त) संगठन से जुड़ा है और यदि हां, तो किस हैसियत से	
27	क्या कोई दान पहले हमारे बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था। (यदि हाँ, अवधि, उद्देश्य, राशि और वर्तमान उपयोग की स्थिति)	
28	संगठन/संस्था के कुछ स्पष्ट तस्वीरें संलग्न की जाए	
29	प्रस्ताव में मूल्यवर्धन के लिए प्रासंगिक कोई अन्य मामला	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(पदनाम और संस्था की मुहर के साथ) **बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर पदनाम सहित**

<u>कॉर्पोरेट संप्रेषण विभाग में की जाने वाली प्रक्रिया</u>

चेकलिस्ट और आवश्यक दस्तावेजों आदि के साथ प्राप्त प्रस्ताव

स्वीकृत राशि और तिथि:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

समुचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) रिपोर्ट

<u>अनुलग्नक 'बी-2'</u>

1	दौरा करने वाले अधिकारी का नाम	
2	दौरा दिनांक	
3	संगठन का नाम संपर्क व्यक्ति जिसके साथ बात की गई उसका विवरण	
4	भौतिक रूप से देखे गए संगठन / साइट के बारे में संक्षिप्त जानकारी	
5	चेक लिस्ट में उल्लिखित दस्तावेज सत्यापित किए गए	हाँ / नहीं
6	कर्मचारियों की संख्या: कार्यालय कर्मचारी: अन्य: अन्य कोई :	
7	अस्पतालों के /छात्रावास आदि के मामले में (सूचना जो लागू हो प्रस्तुत की जाए) ओटी की संख्या, बिस्तरों की संख्या, डॉक्टरों एवं स्टाफ की संख्या, रोगियों की संख्या. छात्रावास के मामले में साथ रहने वालों कि संख्या के साथ कमरों की संख्या, क्षेत्र आदि उपलब्ध सुविधाओं की प्रकृति, शुल्क फी लिया जा रहा है नि:शुल्क सेवाएं यदि कोई हों	

8	क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी (सेवारत या पूर्व कर्मचारी) संगठन से जुड़े हैं और यदि हां, तो नाम और पद जिसमें वे जुड़े हुए हैं।	
9	क्या संगठन का हमारे बैंक के साथ कोई खाता ह, शाखा के साथ खाते की प्रकृत्ति अर्थात बचत खाता, एफडीआर आदि, वर्तामान शेष के साथ	
10	प्रस्ताव से संबंधित कोई अन्य मामला	
11	टिप्पणियाँ/अवलोकन / सिफारिश उपयुक्तता और प्रस्ताव/प्रस्तावित गतिविधियों का प्रभाव:	

स्थान :

दिनांक : निरीक्षणकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर मुहर सहित